

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 84/2024

उनवान

1. तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थी।

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परतापुर—गढ़ी।
2. शबाना पत्नि हाफिजुरेहमान जाति मुसलमान निवासी गढ़ी।
3. हाफिजुरेहमान पुत्र मानखां जाति मुसलमान निवासी गढ़ी तहसील

—: अप्रार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक 07.11.2024


संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढ़ी की खाता संख्या 774 (नया) 736 (पुराना) को सर्वे नम्बर 6950/3754 रकबा 18.40 हे. किस्म आरक्षित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित हिस्सा पूर्ण संस्था के लिये, खाता संख्या 831 (नया) 1 (पुराना) के सर्वे नम्बर 3754 रकबा 1.73 हे, किस्म 4 मगरी भूमि नगरपालिका परतापुर गढ़ी को आबादी विस्तार हेतु, खाता संख्या 735 (नया) 689 (पुराना) के सर्वे नम्बर 6933/3754 रकबा 0.64 हे. किस्म मगरी गोमती पत्नि मोगा हिस्सा 1/2 जाति नट सा. देह गैर खातेदार, मोगा पिता जोती हिस्सा 1/2 जाति नट सा. देह गैर खातेदार, खाता संख्या 744 (नया) 705 (पुराना) के सर्वे नम्बर 6912/3754 रकबा 0.10 हे. किस्म मगरी शबाना पत्नि हाफिजु रेहमान हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान सा. देह गैर खातेदार, हाफिजुरेहमान पिता मानखां हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान सा. देह गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 6950/3754 रकबा 18.40 हे. व आराजी नम्बर 3754 रकबा 1.73 हे. दोनो लगते हुए खसरे है। आराजी नम्बर 6950/3754 की राजस्व रिकार्ड में रकबा 18.40 हे. भूमि दर्ज रिकार्ड है परन्तु मौके पर नपती करने पर 0.80 हे. भूमि ही है इसी प्रकार आराजी नम्बर 3754 की राजस्व रिकार्ड में रकबा 1.73 हे0 भूमि दर्ज रिकार्ड है परन्तु मौके पर नपती करने पर लगभग 18.40 हे0 भूमि है। अतः तहसीलदार, गढ़ी द्वारा पटवार हल्का गढ़ी के ग्राम गढ़ी के आराजी नम्बर 6950/3754 व आराजी नम्बर 3754 की तरमीम दुरस्ती हेतु राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश हुआ।

भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का सम्मन बाद प्राप्त होने के पश्चात भी कोई उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के विरुद्ध प्रारक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परतापुर—गढ़ी का जवाब पेश हुआ।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार, गढ़ी की रिपोर्ट, राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परतापुर-गढ़ी की रिपोर्ट एवं पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे साबित होता है कि आराजी नम्बर 6950/3754 रकबा 18.40 हे० है जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2075-78 में रकबा 18.40 हे० दर्ज है जबकि रकबा नपती करने पर नक्शे में अंकित रकबा जमाबन्दी में अंकित रकबे से भिन्न है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 3754 रकबा 1.73 हे० है जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2075-78 में रकबा 1.73 हे० दर्ज है जबकि रकबा नपती करने पर नक्शे में अंकित रकबा जमाबन्दी में अंकित रकबे से भिन्न है। आराजी नम्बर 6912/3754 रकबा 0.10 हे० भूमि शबाना पत्नि हाफिजु रेहमान जाति मुसलमान हिस्सा 1/2 एवं हाफिजुरेहमान पुत्र मानखॉ जाति मुसलमान हिस्सा 1/2 गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो मौक पर रास्ते में आने एवं उससे रास्ता बन्द होने से उक्त खसरे की तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आराजी नम्बर 6950/3754 रकबा 18.40 हे०, आराजी नम्बर 3754 रकबा 1.73 हे० एवं आराजी नम्बर 6912/3754 रकबा 0.10 हे० भूमि की तरमीम को राजस्व नक्शे में परिवर्तित किया जाना उचित होने से तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा ट्रेस जो पत्रावली में संलग्न है, के अनुसार नये सिरे से राजस्व नक्शे में दुरुस्ती करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07-11-2024 को जारी किया गया।


(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी
उपखण्ड आधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा